जैविक ग्राम नमामी गंगे

स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे योजना

विकासखंड - बहादराबाद, खानपुर एवं लक्सर
जनपद - हरिद्वार
सेवा प्रदाता - सर्ग विकास समिति, देहरादून
क्षेत्रफल - 10000 हेक्टेयर

भूमिका

गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में लाने अथवा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना जारी की गई। इस योजना के कई स्तंभों में से एक है स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे। इसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है। उत्तराखंड सरकार कृषि निदेशालय द्वारा सर्ग विकास समिति को जनपद हरिद्वार में कार्यदाई संस्था बतौर 10000 हेक्टेयर क्षेत्रफल आवंटित किया गया।

योजना के मुख्य उद्देश्य -

1. क्लस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहन किया जाना।
2. पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक सिंथेटिक कार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा करना।
3. प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की प्रजनन क्षमता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, कृषि पोषक तत्व, पुनर नवीनीकरण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करना।
4. उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन द्वारा क्लस्टर और समूहों के रूप में संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।
5. मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का स्थाई रूप से उत्पादन करना।
6. स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रत्यक्ष बाजार संबंधों के माध्यम से किसान उद्यमी तैयार करना।

योजना के घटक

स्वच्छता अभियान नमामि गंगे योजना का क्रियान्वयन कार्यदाई संस्था सर्ग विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। गंगा किनारे स्थित ग्रामों में जैविक खेती हेतु किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकृत किसानों को जैविक खेती हेतु सामग्री एवं ट्रेनिंग प्रदान कराई जाएगी।

योजना के मुख्य घटक कुछ इस प्रकार है–

1. कलस्टर गठन, पंजीकरण, क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवं भ्रमण।
2. डी.बी.टी के माध्यम से कृषकों का प्रदर्शन निवेश तथा ऑन फॉर्म इनपुट सपोर्ट प्रोत्साहन।
3. भौतिक सत्यापन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र जारी।
4. मूल्य संवर्धन, मार्केटिंग एवं प्रचार–प्रसार।

जैविक ग्राम नमामी गंगे

स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे योजना
विकासखंड - बहादराबाद, खानपुर एवं लक्सर
जनपद - हरिद्वार
सेवा प्रदाता - सर्ग विकास समिति, देहरादून
क्षेत्रफल - 10000 हेक्टेयर

आख्या

स्वच्छता अभियान नमामि गंगे योजना का क्रियान्वयन कार्यदाई संस्था सर्ग विकास समिति द्वारा किया जा रहा है।

कुल क्षेत्रफल- 10000 हेक्टेयर	कुल क्लस्टर- 501	कुल ग्राम- 80	कृषक- 11631

सर्ग विकास समिति

सर्ग विकास समिति, उत्तराखंड एक गैर सरकारी संस्था है जो पिछले 17 वर्षों से जैविक खेती एवं बायोडायनेमिक खेती को बढ़ावा दे रही है। सर्ग विकास समिति की शुरुआत मनोहर बायोडायनेमिक्स फार्म्स नैनीताल में एक छोटे गुणवत्ता आधारित ट्रेनिंग सेंटर से हुई। सर्ग राष्ट्र के कई राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सक्रिय है।

योजना का संचालन

सर्ग विकास समिति द्वारा नमामि गंगे योजना अंतर्गत 10000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य का संचालन सुचारु रुप से करने के लिए 100 लोकल रिसोर्स पर्सन का चयन किया गया है जो कि बहादराबाद, खानपुर एवं लक्सर के स्थानीय है। लोकल रिसोर्स पर्सन का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया। लिखित परीक्षा के पश्चात उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान एलआरपी को जैविक खेती के मूलभूत विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई।

योजना अंतर्गत किसानों का पंजीकरण

योजना अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। इच्छुक एवं चयनित कृषकों का पंजीकरण करना अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण होता है। पंजीकृत किसानों को योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है जिसके पश्चात जैविक उर्वरक का वितरण किया जाता है।

किसानों का प्रशिक्षण

किसानों को जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान जैविक खेती के मूलभूत विषयों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई जाती है साथ में प्रैक्टिकल भी किया जाता है जैसे कंपोस्ट, सीपीपी एवं कीटनाशक जैविक माध्यम से बनाना।

कृषकों के खेतों का भ्रमण एवं इंस्पेक्शन

समय–समय पर फील्ड इंस्पेक्टर द्वारा किसानों के खेतों का भ्रमण किया जाता है जो कि चेक करते हैं कि किसान सही तरीके से जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करता है या नहीं तथा उसके द्वारा जैविक बीज बोए गए हैं या नहीं।

कृषकों को जैविक खेती का प्रमाणीकरण

कृषक द्वारा सही रुप से जैविक खेती करने के पश्चात कृषक को सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रमाण प्राप्त हो जाता है।